

भरतलाल

बनाम


रामदेई

दिनांक 04-09-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड-अधिकारी  
अहमदाबाद (जिला दौख्त)